

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद

पत्रांक: C-251/बाखमु/अनुमति,

दिनांक: 01/07/2019

विषय:— Permission for laying Underground Gas Pipeline.

संदर्भ:— आपका पत्रांक TGPL/GA-83/2019-20/MB/003, Dated 14-06-2019

मै0टोरेन्ट गैस प्रा0 लिमिटेड द्वारा सिटी एनर्जी लिमिटेड, एन0एच0-24 स्टोन-14, धनुपुरा, मुरादाबाद।

उपरोक्त विषयक आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा रामगंगा नदी, गांगन नदी, करुला नाला एवं गुम्थल नाला के कोसिंग पर गैस पाईप लाईन बिछाने की अनुमति की वांछना गई है। उपर्युक्त के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता, बाढ़ उपखण्ड द्वितीय, मुरादाबाद की आख्या एवं संस्तुति के आधार पर जनहित एवं राष्ट्रहित में गैस पाईप लाईन बिछाने की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के साथ दिये जाने की संस्तुति की जाती है।

1. यदि भविष्य में कोई बांध अथवा नहर निर्माण कार्य होता है तो उससे पाईप लाईन प्रभावित होती है तो पाईप लाईन शिफ्टिंग के आदेश दिये जाने पर व्यय बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद द्वारा वहन नहीं किया जायेगा न ही उसके लिए विभाग द्वारा कोई मुआवजा इत्यादि वहन किया जायेगा बल्कि इसकी पूरी जवाबदेही टोरेन्ट गैस प्रा0 लिमिटेड की ही रहेगी।
2. भविष्य में शासकीय हित में विभाग द्वारा लिया गया निर्णय विभाग के पक्ष में अन्तिम होगा।
3. गैस पाईप लाईन बिछाने के कारण नदी के पानी की निकासी में अवरोध उत्पन्न नहीं होगा।
4. नदी की तली से कम से कम 3.00 मीटर नीचे पाईप लाईन डाली जायेगी।
5. पाईप लाईन की खुदाई एवं बिछाते समय नदी के प्रवाह मार्ग में किसी प्रकार की क्षति न होने पाये, यदि किसी प्रकार की क्षति दृष्टिगोचर होती है तो टोरेन्ट गैस द्वारा अपने व्यय पर क्षतिपूर्ति करनी होगी।
6. पाईप लाईन बिछाने के पश्चात कार्य स्थल को पूरी तरह से ड्रेसिंग करने के बाद पूर्व की स्थिति में लाया जायेगा।
7. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व इस कार्यालय को सूचित करना होगा तथा कार्यों के दौरान इस खण्ड/उपखण्ड के अभियन्ताओं द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा व उक्त प्रतिबन्ध/शर्तों का पालन न करने पर अनुमति निरस्त समझी जायेगी।
8. प्रत्येक कासिंग पर इन्डीकेशन हेतु साइन बोर्ड लगाया जाये।
9. विशेष परिस्थितियों में यदि विभाग द्वारा किसी हाइड्रोलिक्स (जलीय) संरचना का निर्माण किया जाता है जिससे कि गैस पाईप लाईन बिछाने से अवरोध उत्पन्न हो तो अनुमति वापिस ली जा सकती है। विभाग के उच्चाधिकारियों/शासन द्वारा निर्देशों के अनुसार पूर्ण गैस पाईप लाईन स्थानान्तरित करने अथवा हटाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी टोरेन्ट गैस प्रा0 लिमिटेड एजेन्सी की होगी।

संलग्नक—यथोक्त।

अधिशासी अभियन्ता

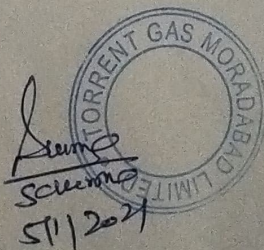
बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद

पत्रांक: /बाखमु/तदिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद।
- 2- सहायक अभियन्ता, बाढ़ उपखण्ड द्वितीय, मुरादाबाद को उनके पत्रांक सी-83/सअदि/अनुमति, दिनांक 25.06.2019 के सन्दर्भ में इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त कार्य के समय स्थल पर रहकर अपनी निगरानी में कार्य कराना सुनिश्चित करें।

E:\A E 2\GANRAL 1.doc114



अधिशासी अभियन्ता

बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद

19/7/2021
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक बानिकी प्रभाग
मुरादाबाद